न्यायालय नायब तहसीलदार श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

मुकदमा नम्बर **67/2018** अंतर्गत धारा 91 एल.आर.एक्ट 1956

उनवान : **राज्य सरकार** बनाम **दुर्गादत**

निर्णय

आज पत्रावली पेश हुई। गैर सायल अनुपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया। संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि पटवारी हल्का **तोलियासर** अन्तर्गत धारा 91 एल.आर.एक्ट 1956 के तहत इस आशय की रिपोर्ट पेश की है कि गैर सायल **दुर्गादत** पुत्र **पोकरराम** जाति **पुरोहित** निवासी **तोलियासर** द्वारा ग्राम **तोलियासर** के खसरा नम्बर **860/241** तादादी **44.27 है.** किस्म भूमि **गै.मु.पायतन** भूमि में से **0.20 हैक्टेयर** भूमि पर सम्वत् **2075** में नाजायज **तारबन्दी व बाडा बनाकर अवैध रूप से** अतिक्रमण किया है, अतः इनके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही करने का अनुरोध किया है।

प्रकरण दर्ज कर रजिस्टर किया जाकर गैर सायल को राजस्थाना भू राजस्व अधिनियम की धारा 91 का नोटिस जारी कर तलब किया गया। गैर सायल को जारी नोटिस विधिवत् तामिल कराया गया, बाद नोटिस तामिल के गैर सायल ने निर्धारित तारीख पेशी को न्यायालय में उपस्थित होकर नोटिस जवाब पेश किया। नोटिस जवाब में गैर सायल ने लिखा कि अप्रार्थी का जो कब्जा बताया गया है, उक्त कब्जा अप्रार्थी के पूर्वजों के समय से ही चला आ रहा है, जो अप्रार्थी को पारिवारिक बंटवारा, हिस्सा पांति में रिहायश के लिये मिला हैं। उपरोक्त भूखण्ड में अप्रार्थी का ईट, खण्डा, लकडी आदि सामान डाला हुआ हैं।

उक्त अतिक्रमित भूमि के संबंध में स्वामित्व बाबत् कोई दस्तावेज/सबूत गैर सायल द्वारा प्रस्तुत नही किया गया। जिससे उक्त भूमि पर इनका स्वामित्व साबित होता हो, जबकि पटवारी हल्का की रिपोर्ट से स्पष्ट **है** कि गैर सायल द्वारा उक्त भूमि पर **तारबन्दी व बाडा बनाकर** अतिक्रमण किया है। गैर सायल द्वारा भूमि स्वामित्व संबंधित कोई संतोषजनक जवाब/प्रस्तुत न करने एवं पटवारी हल्का की रिपोर्ट में गैर सायल **दुर्गादत** का उक्त खसरा नम्बर **860/241** तादादी **44.27 है. गै.मु.पायतन** भूमि में से **0.20 हैक्टेयर** भूमि पर अतिक्रमण होना साबित होता है। गैर सायल **दुर्गादत** अतिक्रमी की श्रेणी में आता है।

अतः गैर सायल **दुर्गादत पुत्र पोकरराम** जाति **पुरोहित** निवासी **तोलियासर** द्वारा ग्राम **तोलियासर** के आराजी ख.नं. **860/241** तादादी **44.27 है. गै.मु. पायतन** भूमि में से **0.20 हैक्टेयर** भूमि का सम्वत् **2075** का अतिक्रमी घोषित किया जाकर बेदखली का आदेश पारित किया जाता है तथा लगान **0.20 रूपये** का 50 गुणा से **10.00** रूपये की शास्ती आरोपित की जाती है।

त.रा.ले. को मांग कायमी, पटवारी हल्का को शास्ती राशि वसूली एवं हल्का भू.अ.नि. को अतिक्रमी को भौतिक रूप से बेदखल करने एवं कब्जा बहक सरकार लेने हेतु लिखा जावे।

निर्णय आज दिनांक **26.12.2018** को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। पत्रावली बाद तकमील पूर्ति दाखिल दफ्तर हो।

नायब तहसीलदार
श्रीडूंगरगढ (बीकानेर) राजस्थान

न्यायालय नायब तहसीलदार श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

2